न्यायालय उप तहसीलदार तहसील सिंघाना जिला झुन्झुनु

मु0न0	किस्म मु0	रज्जु दिनांक	निर्णय दिनाक
04/19	धारा 91	28.01.19	22.02.19

उनवान सरकार बनाम सरदार पुत्र महादा जाति गुर्जर नि0कुठानिया तह0 बुहाना जिला झुन्झुनु

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्मी अनुपस्थित। मामला संक्षित में इस प्रकार है कि पटवारी ने सम्वत 2075 में इस आशय की रिर्पोट प्रस्तुत की है कि ग्राम कुठानिया की राजकीय भूमि गै0मु0जोहड में ख0न0 527/88 रकबा 1.10है0 किस्म गै0मु0 जोहड में 0.10 है0 भूमि पर सरदार पुत्र महादा जाति गुर्जर नि0कुठानिया ने अवैध जौ की फसल कर अनाधिकृत अतिकमण किया गया है।

रिर्पोट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिकमी उपस्थित।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिकमी द्वारा किया गया अतिकमी जो काविज नियमन नही है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतः उक्त अतिकमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिकमी घोषित किया जाता है। व जैर बहस रिर्पोट पटवारी पर से वेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिकमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये जौं की फसल कर के दण्ड स्वरूप अतिकमण शुदा भूमि के लगान 0.69की 50 गुणा जुर्माना राशि 35/- रू बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0नि0/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/वेदखली/वसुली/कुर्क शुद्धा फसल को निलामी कर राशि राज कोष में जमा करवाने हेतु लिखा जावे। भू0 अ0नि0 को राजकीय भूमि से अतिकमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामिल दाखिल दफतर हो तथा नम्बर से कम होकर दर्ज फैसला हो।

आज दिनांक 22.02.19 खुले न्यायालय सुनाया गया।

उप तहसीलदार
सिंघाना झुन्झुनु

22
2020 35/-
100